निबंधन संख्या - 295 / 78-79

372

जय तैलिक समाज

बिहार तैलिक वैश्य सभा का संविधान

साहु समाज भवन

बिहारी साव लेन,
पटना - 800 004.
☎ : 2670994

Scanned with OKEN Scanner

बिहार तैलिक वैश्य सभा

का

संविधान

*** 1- सभा का नाम एवं संगठन :-**

1.1 नाम :- इस सभा का नाम 'बिहार तैलिक वैश्य सभा' होगा।

1.2 मुख्यालय :- इसका मुख्यालय पिरबहोर थाना के अंतर्गत साहु समाज भवन, बिहारी साव लेन, लंगरटोली, पटना-800 004 में अवस्थित रहेगा।

.3 कार्यक्षेत्र :- इस सभा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा।

.4 शाखायें :- इस सभा की शाखायें प्रत्येक जिला में होगी, जिन्हें जिला सभा और उनके अंतर्गत प्रखण्ड सभायें होंगी।

*** 2- सभा के उद्देश्य :-**

2.1 बिहार तैलिक वैश्य सभा एक पूर्णत: गैर-राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करेगी ताकि तैलिक वैश्यों का सामूहिक एवं संगठित रूप में सर्वांगीण विकास संभव हो सके।

2.2 बिहार राज्य के तैलिक वैश्यों के सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना।

2.3 जाति-शाखा क्षेत्र, व्यवसाय आदि की संकीर्ण भावनाओं को दूर कर तैलिक वैश्य बंधुओं में भावनात्मक एकता, उदान्त राष्ट्रीयता एवं सर्व-भारतीयता का भाव आभूत करना।

2.4 तैलिक वैश्यों में पारस्परिक सद्भाव, सहयोग एवं समानता की भावना बढ़ाना।

2.5 वैश्य समाज के समस्त सदस्यों के मध्य तादात्म संबंध स्थापित करना।

2.6 सभी तैलिक वैश्यों के बीच पारस्परिक संपर्क बनाये रखने के लिये समुचित अवसर प्रदान करना।

2.7 बेरोजगार सदस्यों की यथासंभव सहायता करना, जिससे वे स्वावलंबी बन सके।

2.8 समाज की कुरूतियों का निवारण कर सुरीतियों एवं सुसंस्कारों का प्रचार-प्रसार करना।

2.9 तिलक-दहेज जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन करने, सामूहिक अंतर-शाखा एवं अंतर राज्य विवाह को प्रोत्साहन देने, योग्य वर-कन्याओं के बीच आदर्श वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने आदि में सम्यक् प्रयास करना।

2.10 तैलिक वैश्यों के शैक्षणिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सभी संभव प्रयत्न करना।

2.11 तैलिक वैश्यों के हितार्थ राज्य भर में सभा-भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, कल्याण मण्डप, आदि की स्थापना करना एवं उनके समुचित संचालन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करना।

2.12 सभा की सभी निजी सम्पत्ति के संरक्षण, संधारण, संचालन और संवर्द्धन की व्यवस्था करना।

Scanned with OKEN Scanner

2.13 तैलिक वैश्य समाज की प्रगतियों, उपलब्धियों, गतितिधियों, योजनाओं, संगठन कार्यों आदि से लोगों को अवगत कराते रहने एवं समाज में व्यापक जागृति लाने के लिए कम से कम एक पत्रिका का प्रकाशन और संचालन करना तथा

2.14 आवश्यकतानुसार समान अथवा सदृश्य उद्देश्यों वाली संस्थाओं अथवा सभाओं के साथ संधी एकीकरण करने पर विचार करना।

2.15 बिहार राज्य में विद्यमान तैलिक वैश्यों की सार्वजनिक सम्पत्तियों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, धर्मशालाओं, ठाकुरवाड़ियों, पंचायत भवनों, खाली जमीनों आदि की सुरक्षा और सुव्यवस्था करना।

*** 3- सभा की सदस्यता, सदस्यता शुल्क एवं सदस्यों का वर्गीकरण :-**

3.1 वही तैलिक वैश्य बंधु (स्त्री या पुरूष) सभा, जिला एवं प्रखण्ड सभाओं के सदस्य होंगे, जो (क) इनके उद्देश्यों में आस्था रखते हो, (ख) बिहार राज्य के निवासी हों या अधिकतर यहाँ रहते हों, (ग) कम से कम 18 वर्ष के हो, (घ) मानसिक दृष्टि से संतुलित हो, (ड़) किसी समाज विरोधी कार्य में संलग्न न हों तथा (च) सदस्यता शुल्क दे चुके हों।

3.2 साधारण सदस्य बने रहने के लिये विहित तौर पर प्रतिवर्ष 1/- रूपया सदस्यता शूल्क होगा। साल की गणना जनवरी से दिसम्बर तक होगी।

3.3 किसी कारण से सदस्यता शुल्क नहीं जमा करने के कारण यदि सदस्यता समाप्त हो गई हो तो वैसे बंधुओं की सदस्यता फिर से तभी मानी जायेगी जब तक कि वे बाकी शुल्क के साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष का भी शुल्क जमा नहीं कर देते हैं।

3.4 आजीवन सदस्य उन्हें माना जायेगा, जो सदस्यता के अन्य शर्तों को पूरा करते हों और जो विहित तौर पर सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुस्त कम से कम 101/- रू0 देंगे।

3.5 आजीवन पार्षद् उन्हें माना जायेगा, जो सदस्यता की अन्य शर्तों को पूरा करते हों और जो विहित तौर पर सदस्यता शुल्क के रूप में एक मुस्त कम से कम 1001/- रू0 देंगे।

3.6 विशिष्ट / परम विशिष्ट सदस्य आदि की उपाधि से उन सदस्यों को सुशोभित विभूषित किया जा सकता है, जिन्होंने नि:स्वार्थ भाव से तैलिक वैश्यों की सामूहिक उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

*** 4- सदस्यता की समाप्ति :-**

4.1 सभा की सदस्यता की किसी भी एक शर्त की पूर्ति नहीं करने के स्पष्ट प्रमाण मिल जाने पर।

4.2 सभा के हितों के प्रतिकूल किसी आचार-व्यवहार में संलग्न होने के कारण प्रखण्ड परिषद् द्वारा दोषी पाये जाने पर। इस कारण से हटाये गये सदस्यों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा। यदि वे चाहें तो प्रखण्ड परिषद् के निर्णय के विरूद्ध संबंधित जिला / प्रखण्ड परिषद् को अपील कर सकते हैं।

*** 5- सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

Scanned with OKEN Scanner

5.1 सभा के सभी प्रकार के सदस्य एक साथ अपने प्रखण्ड, जिला एवं सभा के सदस्य विधिवत चुने जायेंगे। सभा का सर्वोच्च अधिकार उसके सदस्यों में निहित होगा, जिसका उपयोग प्रतिनिधियों के निर्वाचन द्वारा करेंगे।

5.2 प्रखण्ड परिषद् के चुनाव में ही सभी प्रकार के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने के अधिकारी होंगे। अन्य परिषदों का गठन उनके द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा होगा।

5.3 कोई सदस्य स्वयं अथवा किसी प्रतिनिधि द्वारा अपनी व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कठिनाइयों अथवा सभा के हित में अपने सुझाव देने के अधिकारी होंगे। संबंधित कार्य समिति की कठिनाई दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी अथवा उनके सुझाव पर विचार कर आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगी।

5.4 प्रखण्ड, जिला, प्रान्तीय सभा की आम सभा एवं अधिवेशनों में सभा की नीति निर्धारण करने के लिये एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सक्रिय भाग लेने के लिए सक्षम होंगे।

5.5 आजीवन सदस्यों तथा आजीवन पार्षदों को प्रखण्ड, जिला या प्रान्तीय सभा द्वारा संचालित किसी भी अतिथिशाला, धर्मशाला आदि में अतिथि के रूप में ठहरने के लिये प्राथमिकता दी जायेगी तथा उनके अधिवेशनों और आम सभाओं में उन्हें आरक्षित सिटों और स्थलों पर स्थान दिया जायेगा तथा विशेष बैच आदि से विभूषित किया जायेगा।

5.6 आजीवन पार्षद् अपने प्रखण्ड परिषद् के सदस्य चुनाव लड़े बिना बन सकते हैं।

5.7 आजीवन सदस्य अपने प्रखण्ड परिषद् के आमंत्रित सदस्य होंगे, लेकिन परिषद् में इन्हें मतदान का अधिकार तब तक नही होगा जब तक वे पंचायत से निर्वाचित होकर नही आते।

* <u>6- सभा के विभिन्न संगठनात्मक स्तरों का गठन :-</u>

6.1 किसी ग्राम के अथवा निकट के कई ग्रामो, जो किसी एक ही पंचायत के हो, के न्यूनतम 25 सदस्यों पर, उनके द्वारा अपने में से एक पंचायत प्रतिनिधि का बहुमत से अगले चार वर्षो के लिये दिसम्बर माह तक चुनाव किया जायेगा। उन्हें ही पंचायत प्रतिनिधि चुना जायेगा जो अपने क्षेत्र के ग्राम या पंचायत के हों । विशेष कारण होने पर वे उस क्षेत्र के न होते हुये भी चुने जायेगें मगर वे हर हालत में उस प्रखण्ड के निवासी होंगे। यह चुनाव जिला कार्य समिति द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड के लिये मनोनीत पर्यवेक्षक के समक्ष प्रखण्ड कार्य समिति द्वारा कराया जायेगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची जिला कार्य समिति को भी दी जायेगी।

6.2 निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रखण्ड परिषद् में अधिक से अधिक पाँच और भी प्रखण्ड निवासी या प्रखण्ड में कार्यरत् तैलिक वैश्य प्रखण्ड कार्य समिति द्वारा मनोनीत किये जा सकेंगे जिनकी उपस्थिति प्रखण्ड परिषद् के कार्यों के सम्पादन में उपयोगी मानी जायेगी। ये व्यक्ति, प्रखण्ड कार्य समिति के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से मध्यावधि में भी हटाये जा सकेंगे। इनके मनोनयन में महिला एवं युवा वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा जायेगा। प्रखण्ड स्तर पर स्थापित सभी स्थाई संघ, समाज एवं समिति (जैसे युवकों के संघ, महिलाओं की समिति आदि) के अध्यक्ष एवं मंत्री प्रखण्ड परिषद् के पदेन सदस्य होंगे।

6.3 आजीवन पार्षद् अपनी विशेष सदस्यता के बल पर अपने प्रखण्ड परिषद् के सदस्य बन

Scanned with OKEN Scanner

जायेंगे।

6.4 किसी भी कारण से पंचायत प्रतिनिधि का स्थान रिक्त होने पर उनके बदले में प्रतिनिधि का चुनाव तीन महीने के अंतर्गत करा लिया जायेगा, विलम्ब या कठिनाई की स्थिति में प्रखण्ड अध्यक्ष अपनी कार्य समिति की सहमति से उसी क्षेत्र के निवासी सदस्य को मनोनित करेंगे।

6.5 इस तरह निर्वाचित एवं मनोनित पंचायत प्रतिनिधियों एवं आजीवन पार्षदों द्वारा प्रखण्ड परिषद् का गठन किया जायेगा जिसकी कार्यावधि चार वर्षो की होगी और चार वर्षो बाद नये परिष्द् के गठन के साथ समाप्त होगी। नये परिषद् पहली बैठक जनवरी में पहले की कार्य समिति द्वारा बुलायी जायेगी।

6.6 प्रखण्ड / जिला कार्य समिति के गठन के साथ-साथ हर प्रखण्ड / जिला परिषद् अपने जिला/ प्रान्तीय परिषद् के लिये प्रखण्ड /जिला प्रतिनिधियों का चुनाव अगले चार वर्षो की कार्यावधि के लिये करेगा। प्रत्येक 20 निर्वाचित पंचायत / प्रखण्ड प्रतिनिधियों पर एक और बाकी बचे 10 से अधिक संख्या पर एक प्रखण्ड / जिला प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा।

ये निर्वाचित प्रखण्ड / जिला प्रतिनिधि निर्वाचित पंचायत / प्रखण्ड प्रतिनिधियों में से होंगे मगर ये प्रखण्ड / जिला कार्य समिति के पदाधिकारी या सदस्य नहीं रहेंगे। निर्वाचित पंचायत प्रखण्ड प्रतिनिधि को किसी भी कारण से हटाये जाने पर ये प्रखण्ड / जिला प्रतिनिधि से भी हटाये जायेंगे।

6.7 इन निर्वाचित प्रखण्ड / जिला प्रतिनिधियों के अलावा प्रत्येक प्रखण्ड / जिला अध्यक्ष पदेन जिला / प्रान्तीय परिषद् के सदस्य होंगे, मगर वे जिला / प्रान्तीय कार्य समिति के सदस्य या पदाधिकारी नहीं होंगे। जिला / प्रान्त के सभी आजीवन सदस्य एवं आजीवन पार्षद जिला/ प्रान्तीय परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे लेकिन जिला / प्रान्तीय परिषद् में निर्वाचित होकर आने पर ही इन्हें वही मतदान का अधिकार होगा।

6.8 इसके अलावा जिला / प्रान्तीय परिषद् में अधिक से अधिक 10 / 20 और भी तैलिक वैश्य जिला / प्रान्तीय निवासी या जिला / प्रान्त में कार्यरत् सदस्य जिला / प्रान्तीय कार्यसमिति द्वारा मनोनित किये जायेंगे जिसकी उपस्थिति जिला / प्रांतीय परिषद् के कार्यो के संपादन में सहायक मानी जायेगी। ये सदस्य कार्य समिति के दो-तिहाई सदस्यों की मॉग पर मध्यावधि में भी हटाये जायेंगे। इनके मनोनयन में महिला एवं युवा वर्ग के प्रतिनिधित्व का विशेष ध्यान रखा जायेगा। जिला / प्रान्तीय स्तर पर सभी स्थाई संघ, समाज एवं समिति आदि के अध्यक्ष एवं मंत्री इसके पदेन सदस्य हांगे।

6.9 किसी भी कारण से प्रखण्ड / जिला प्रतिनिधि का स्थान रिक्त हाने पर प्रखण्ड / जिला कार्य समिति की सहमति पर प्रखण्ड / जिला अध्यक्ष द्वारा मनोनयन तीन महीने के अंतर्गत सम्पन्न करा लिया जायेगा। मगर विलम्ब या कठिनाई की स्थिति में जिला / प्रान्तीय अध्यक्ष उसी प्रखण्ड / जिला के किसी सदस्य को स्वयं मनोनीत कर प्रखण्ड / जिला कार्य समिति को सूचित कर देंगे।

6.10 इस प्रकार निर्वाचित एवं मनोनीत प्रखण्ड / जिला प्रतिनिधियों एवं पदेन सदस्यों द्वारा

Scanned with OKEN Scanner

जिला / प्रान्तीय परिषद् का गठन होगा। इस परिषद् की कार्यावधि चार वर्षों की होगी जो चार वर्ष बाद नये जिला प्रान्तीय परिषद् के गठन के साथ समाप्त होगी। नयी परिषद् की पहली बैठक फरवरी / मार्च में पहले की कार्य समिति द्वारा बुलायी जायेगी।

*** 7- प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय परिषदों के कर्त्तव्य, अधिकार आदि :-**

7.1 साधारणत: पंचायत प्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के सदस्यों से वार्षिक सदस्यता शुल्क वसूल कर के देना होगा।

7.2 सभी के उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु हर संभव प्रयत्न करते हुये पंचायत/ प्रखण्ड/जिला प्रतिनिधि अपने पंचायत / प्रखण्ड / जिला के हितों रक्षार्थ खासकर अपने क्षेत्र के सदस्यों के कठिनाईयों के निदान हेतु प्रखण्ड/ जिला / प्रान्तीय परिषद् के माध्यम से हर संभव प्रयास करेंगे।

7.3 प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय अध्यक्ष प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय परिषद् के प्रत्येक बैठक में सभापति रहेंगे। किसी विषय पर प्रखण्ड /जिला /प्रान्तीय परिषद् में मतदान की स्थिति में दोनों पक्षों में बराबर मत होने पर उनका दूसरा निर्णायक मत द्वारा निर्णय होगा। जब कोई भी प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत होगा तभी वह सभी सदस्यों को मान्य होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरीयता अनुसार उपाध्यक्ष एवं उनकी अनुपस्थिति में परिषद् के किसी वरीय सक्षम सदस्य का चुनाव अध्यक्ष पद के लिये किया जायेगा। जो उभय पक्ष में बराबर मतदान की स्थिति में आवश्यकतानुसार अपना दूसरा निर्णायक मत का उपयोग करेंगे।

7.4 वर्ष में एक बार साधारणत: प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय परिषद् की बैठक प्रखण्ड/ जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति द्वारा निर्णित जगह समय एवं तिथि पर बुलाई जायेगी जिसके लिये हर प्रतिनिधि को दो सप्ताह की पूर्व सूचना दी जायेगी। प्रखण्ड/ जिला/ प्रान्तीय परिषद् के कम से कम 20 प्रतिशत प्रतिनिधियों की अधियाचना पर अथवा प्रखझड/ जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति के निर्णय पर प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय परिषद् की असाधारण बैठक एक सप्ताह की सूचना पर किसी भी समय बुलाई जा सकेगी। लगातार दो बैठकों (कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों सहित) में भाग नहीं लेने पर तीसरी बैठक में विशेष रूप से अगाह किये जाने पर भी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले परिषद् के उक्त प्रतिनिधियों का स्थान रिक्त माना जायेगा।

7.5 प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय परिषद् को अपने अधीनस्त हर पंचायत एवं अपने प्रखण्ड/ प्रखण्ड एवं अपने जिला / जिला एवं प्रान्त से संबंधित सभी समस्याओं पर अंतिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा लेकिन तैलिक वैश्य समाज के व्यापक विषयों पर प्रखण्ड एवं जिला परिषदों का निर्णय अनुशंसा मात्र होगा। ऐसे विषयों पर प्रान्तीय परिषद् या सभा द्वारा दिया गया निर्णय सभी सदस्यों को मान्य होगा।

7.6 प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय परिषद् के साधारण या असाधारण बैठक के लिये कोरम परिषद् के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी जब कि आधे घण्टे के बाद भी प्रतिनिधि भी उपस्थित न हों और स्थगित बैठक पुन: कोरम की आवश्यकता नहीं होगी तथा पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

7.7 साधरणत: प्रखण्ड /जिला /प्रान्तीय परिषद् के सदस्य अपने प्रस्ताव को लिखित रूप में प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति के मंत्री /महामंत्री की बैठक के कम से कम तीन दिन पहले देंगे।

7.8 परिषदों के बैठक की कार्यवाही की प्रतिलिपि अपने संबंधित प्रखण्ड/ जिला एवं प्रान्तीय कार्य समिति को भेजी जायेगी तथा अगली बैठक में इसकी संपुष्टि करायी जायेगी। परिषद् के हर प्रतिनिधि को कार्यवाही पुस्तिका देखने का अधिकार होगा।

7.9 बैठक की कार्यावली में संशोधन हेतु बैठक के उपस्थित सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रस्ताव करेंगे, तो बहुमत से स्वीकृत होने पर ही मान्य होगा।

7.10 प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय परिषद् की बैठक में पिछले पारित प्रस्ताओं पर प्रखण्ड / जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जायेगी एवं भविष्य में किये जाने वाले कार्यक्रम निर्धारित किये जायेगें। साल भर का बजट स्वीकृत कियो जायेगा, जो निर्धारित कार्यक्रमों एवं स्वीकृत प्रस्तावों के आधार पर होगा। प्रखण्ड/जिला/प्रान्त के किसी कार्य विशेष के कार्यान्वयन हेतु यदि कोई उप-समिति के गठन की आवश्यकता होगी तो इसका निर्णय भी प्रखण्ड /जिला/प्रान्तीय परिषद् द्वारा किया जायेगा। प्रखण्ड/ जिला कार्य समिति, परिषद् या सभा से संबंधित किसी जटिल मामले, जिसका निपटारा प्रखण्ड/ जिला स्तर पर न हो सके, उसे प्रखण्ड/ जिला परिषद् के निर्देश पर जिला / प्रांतीय कार्य समिति को सर्व निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिला / प्रांतीय कार्य समिति द्वारा दिया गया एवं निर्णय उस स्थिति में प्रखण्ड / जिला सभा को मान्य होगा। विशेष स्थिति में प्रखण्ड परिषद् या सभा प्रान्तीय परिषद् को अपील कर सकती है।

7.11 <u>प्रान्तीय परिषद् के सदस्यों के बहुमत से प्रान्तीय परिषद् की बैठक में प्रस्ताव पारित होने पर बिहार राज्य तैलिक वैश्य सभा का संविधान की धारा/ उपधारा य. सभी उपबंधों को संशोधित किया जा सकता है। बैठक के लिये निर्गत की गयी सूचना और कार्यावली में इसका समावेश पहले से करना आवश्यक होगा। साथ ही इसके लिये बैठक में कम से कम प्रान्तीय परिषद् के 60 (साठ प्रतिशत) सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है।</u>

*** <u>8. प्रखण्ड/ जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति-</u>**

8.1 प्रखण्ड परिषद् के कार्यो का प्रबंध करने हेतु एक प्रखण्ड कार्य समिति का गठन होगा जिसमें कुल मिलाकर पदाधिकारी सहित 13 सदस्य एवं पदाधिकारी होंगे। इसका कार्यालय प्रखण्ड अंतर्गत प्रखण्ड कार्य समिति द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर हो सकता है, जिसका पूरा पता जिला एवं प्रान्तीय कार्य समिति को शीघ्र भेज दिया जायेगा।

8.2 प्रखण्ड कार्य समिति के निम्नांकित पदाधिकारी होंगे :

क- अध्यक्ष	-	1
ख- अपाध्यक्ष	-	2
ग- मंत्री	-	1
घ- सहायक मंत्री	-	2
ड़- कोषाध्यक्ष	-	1

Scanned with OKEN Scanner

च- (अंकेक्षक) आंतरिक अंकेक्षक - 1

प्रखण्ड स्तर पर स्थापित सभी स्थाई संघ समिति (जैसे युवा संघ, महिला समिति) के अध्यक्ष इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। इनके अलावे आवश्यकतानुसार कुछ आमंत्रित सदस्य किसी खास कार्य समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। मगर उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

8.3 जिला परिषद् के कार्यों के प्रबंध करने हेतु एक जिला कार्य समिति का गठन होगा, जिसमें पदाधिकारियों सहित 17 सदस्य होंगे। सामान्यतः जिला कार्यालय जिला के मुख्यालय में ही होगा मगर विशेष कारणवश यह जिलान्तर्गत किसी अन्य स्थान पर जिला परिषद् की सहमति से स्थापित किया जायेगा।

8.4 जिला कार्य समिति के निम्नांकित पदाधिकारी होंगे :-

क- अध्यक्ष	-	1
ख- उपाध्यक्ष	-	2
ग- मंत्री	-	1
घ- सहायक मंत्री	-	2
ड़- कोषाध्यक्ष	-	1
च- आंतरिक अंकेक्षक	-	1
छ- संगठन मंत्री	-	1

8.5 प्रान्तीय परिषद् के कार्यों के प्रबंध हेतु एक प्रान्तीय कार्य समिति का गठन होगा जिसमें पदाधिकारियों सहित कम से कम 21 और अधिक से अधिक 27 सदस्य होंगे। प्रान्तीय कार्यालय साहु समाज भवन, बिहारी साव लेन, पटना-800 004 में होगा।

8.6 प्रान्तीय कार्य समिति के निम्नांकित पदाधिकारी होंगे :

क- अध्यक्ष	-	1
ख- उपाध्यक्ष	-	5
ग- महामंत्री	-	1
घ- संयुक्त मंत्री	-	2
ड़- कोषाध्यक्ष	-	1
च- आंतरिक अंकेक्षक	-	2
छ- संगठन मंत्री	-	2

ज- सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये चुने अथवा मनोनीत सदस्यों को कार्यों के विभाजन के अनुरूप अपयुक्त पदनाम एवं शक्ति देकर कार्य संचालन एवं सम्पादन कराया जा सकता है।

प्रान्तीय स्तर पर स्थापित सभी स्थाई संघ एवं समिति जैसे (युवा संघ, महिला समिति आदि) के अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होंगे।

8.7 प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय परिषद् द्वारा प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय अध्यक्ष, प्रखण्ड मंत्री/जिला मंत्री/प्रान्तीय महामंत्री एवं प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय कोषाध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा। इनके अतिरिक्त पदेन उपाध्यक्षों को छोड़कर कार्य समिति की बाकी संरचना का दो तिहाई

निर्वाचित होगा, जिसमें प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय अध्यक्ष, मंत्री/महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष शामिल होंगे। बाकी एक तिहाई सदस्यों को प्रखण्ड / जिला/प्रान्तीय अध्यक्ष अपनी-अपनी कार्य समिति के लिये मनोनीत करेंगे। मंत्री/महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष को छोड़कर कार्य समिति के अन्य पदाधिकारियों के चयन का अधिकार संबंधित अध्यक्ष को होगा।

8.8 प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय परिषद् की जिस बैठक में निर्वाचित पदों का चुनाव होगा उसमें चुनाव कराने हेतु यथा सम्भव प्रखण्ड में जिला कार्य समिति द्वारा एवं जिला में प्रान्तीय कार्य समिति द्वारा किसी पर्यवेक्षक को मनोनीत कर भेजा जायेगा। निर्वाचित पद के निये नाम वापसी के अवसर के बाद भी एक से अधिक नामांकन बच जाने की स्थिति में चुनाव गोपनीय मत पत्र द्वारा बहुमत से कराया जायेगा। नये अध्यक्ष द्वारा किसी अपने कार्य समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों की घोषणा होगी इसके बाद परिषद् की बैठक की बाकी कार्यवाही का संचालन नई कार्य समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें आगे का बजट एवं कार्यक्रम विशेष रूप से शामिल होगा। नई कार्य समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूचि प्रखण्ड, जिला एवं प्रान्तीय कार्य समिति को रेकार्ड के लिये भेज दी जायेगी। इस तरह गठित प्रखण्ड, जिला एवं प्रान्तीय कार्य समिति की कार्यावधि साधारणत: चार साल की होगी।

8.9 प्रंखड / जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति के कोई भी पदाधिकारी का चुनाव लगातार एक ही पद पर दो अवधि से अधिक बार नही किया जायेगा।

8.10 प्रखण्ड/जिला /प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक साधारणत: कम से कम तीन महीने में एक बार होगी किन्तु इसके अध्यक्ष को, अल्प सूचना पर अथवा संबंधित समिति के 25 प्रतिशत सदस्यों के अनुरोध पर, प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय कार्य समिति की असाधारण बैठक बुलाने को अधिकार होगा। प्रखण्ड/ जिला/ प्रन्तीय कार्य समिति की बैठक का स्थान, समय एवं तिथि का निर्णय उनके अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए आवश्यक सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व (साधारण बैठक के लिये) निर्गत की जायेगी। लगातार दो बैठकों (कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों सहित) में भाग न लेने पर तीसरी बैठक के लिये विशेष रूप से अगाह किये जाने के बाद भी बिना पूर्व सूचना दिये अनुपस्थित रहने वाले कार्य समिति के उक्त पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त माना जायेगा। इस तरह या अन्य किसी कारणवश रिक्त स्थानों को संबद्ध अध्यक्ष द्वारा मनोनयन कर भरा जायेगा।

8.11 प्रखण्ड / जिला/प्रान्तीय कार्य समिति का कोरम किसी बैठक के लिये उसके सदस्यों की संख्या का आधा होगा। कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी जब कि आधे घण्टे तक कार्य स्थगित करने पर भी प्रखण्ड कार्य समिति / जिला कार्य समिति और प्रान्तीय कार्य समिति के उपस्थित न हों और स्थगित बैठक हेतु पुन: कोरम की आवश्यकता नहीं होगी तथा पूर्व निर्धारित विषयों पर ही विचार किया जायेगा।

8.12 प्रखण्ड/जिला/प्रन्तीय कार्य समिति की बैठक उनके अध्यक्ष द्वारा संचालित होगी। उनकी अनुपस्थिति में वरीयतानुसार अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संबंधित कार्य समिति के किसी वरीय सदस्य को बैठक के संचालन हेतु चुना जायेगा।

8.13 प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय परिषद् की सभी संपत्ति प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय कार्य समिति में

Scanned with OKEN Scanner

निहित होगी एवं संबंधित मंत्री/महामंत्री उसके अभिरक्षक होंगे।

8.14 इस संविधान के अंतर्गत यदि किसी कार्य विर्शष के संचालन हेतु नियमावली किसी विशेष प्राधिकृत समिति द्वारा बनायी जायेगी एवं स्वीकृत की जायेगी तो वह संबंधित प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय कार्य समिति पर लागू होगी।

* 9- प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों का निष्कासन :-

9.1 सभा के प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय कार्य समिति को संबंधित प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय परिषद् की बैठक में परिषद् के सदस्यों की दो तिहाई बहुमत के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर भंग किया जा सकेगा। भंग कार्य समिति, कार्यकारी समिति के रूप में अधिक से अधिक तीन महीने तक कार्य कर सकती है, यदि नये सदस्यों तथा पदाधिकारियों का चुनाव और मनोनयन करने में विलम्ब हो। विशेष परिस्थिति में भंग प्रखण्ड / जिला कार्य समिति के द्वारा तदर्थ ससमिति बनाने के लिये जिला/प्रान्तीय अध्यक्ष, जिसके अधिक्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड/ जिला पड़ता है, करने के लिये सक्षम होंगे।

9.2 साधारणत: सभा के प्रखण्ड / जिला / प्रान्तीय कार्य समिति के किसी सदस्य या परिषद् के प्रतिनिधि को संबंधित प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय परिषद् द्वारा 60 (साठ) प्रतिशत बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव के पारित करने पर हटाया जा सकेगा।

9.3 धारा 9.1 और 9.2 के अधिकारों के उपयोग हेतु कमश: प्रखण्ड, जिला एवं प्रान्तीय परिषद् के कम से कम 20 (बीस) प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव संबंधित कार्य समिति के सदस्य को दिया जायेगा जिसकी व्यवस्था अनुकूल हाने पर उक्त परिषद् की आपत्ति बैठक विहित प्रक्रिया अनुसार बुलाई जायेगी और कोरम आदि शर्त्तो के पूरा होने पर उस पर विचार किया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर मतदान लेकर निर्णय लिया जायेगा।

9.4 सभा के विभिन्न स्तरों के कार्यो के संचालन में संबंधित अध्यक्ष को किसी पदाधिकारी के आचरण से यदि विघ्न उपस्थित होता हो, तो उस स्थिति में संबंधित कार्यसमिति बहुमत प्रस्ताव के द्वारा उक्त पदाधिकारी/ सदस्य को अस्थाई तौर पर हटाने में सक्षम होगा। बाद में इसकी संपुष्टि संबंधित परिषद् द्वारा करा लिये जाने पर अध्यक्ष इन्हें स्थायी तौर पर हटा सकेंगे। किसी पदाधिकारी/ सदस्य के अस्थाई निष्कासन की स्थिति में इसकी जगह अस्थाई मनोनयन कर के कार्य संपादन कराने के लिये संबंधित अध्यक्ष को अधिकार होगा।

9.5 सभा के किसी प्रखण्ड/जिला/ प्रान्तीय कार्य समिति के अध्यक्ष का त्याग-पत्र सम्बन्धित कार्य समिति के द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर अथवा उनके आकस्मिक निधन पर प्रखण्ड / जिला / प्रान्तीय कार्य समिति के मनोनीत सदस्य स्वत: अपने पदों से विमुक्त हो जायेंगे।

* 10- प्रखण्ड /जिला /प्रान्तीय कार्य समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

10.1 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष :-

क - कार्य समिति के अध्यक्ष संबंधित परिषद् के प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। उनकी अनुपस्थिति में वरीयतानुसार उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधिकारों का उपयोग करेंगे।

ख - प्रखण्ड अध्यक्ष प्रखण्ड स्तर के, जिला अध्यक्ष्य जिला स्तर के एवं प्रान्तीय अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

प्रान्तीय स्तर के सभी आम सभा, अधिवेशन, परिषद् एवं कार्य समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

ग - प्रखण्ड अध्यक्ष प्रखण्ड स्तर के, जिला अध्यक्ष जिला स्तर के, प्रान्तीय अध्यक्ष प्रान्तीय स्तर के सभी स्थायी संघ, समाज, समितियों, उपसमितियों के पदेन सदस्य होंगे एवं आवश्यकतानुसार अपने किसी उपाध्यक्ष को अपने स्थान पर भाग लेने के लिये प्राधिकृत करेंगे, जो उन्हें उक्त बैठक की पूर्ण सूचना देंगे।

घ- विहित तौर पर आवश्यकतानुसार प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय अध्यक्ष प्रखण्ड / जिला/प्रान्तीय परिषद् के क्रमशः प्रतिनिधि, सदस्य या पदाधिकारी मनोनीत करेंगे।

ङ- परिषद, संघ, समाज, समितियों, उपसमितियों के किसी प्रतिनिधि/सदस्य/पदाधिकारी की अनुशासनहीनता पर अपने कार्य समिति के निर्णयानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

च- कार्य समिति की स्वीकृति के बाद सम्बद्ध परिषद् की औपचारिक सहमति से संबद्ध किसी संघ/ समाज/ समिति उप समिति को विघटित कर उसके स्थान पर तदर्थ या निर्वाचित संघ/समाज/समिति/उपसमिति को मनोनीत करेंगे या निर्वाचन करायेंगे।

टिप्पणी :- इस धारा का उपयोग वे संकट की ऐसी स्थिति में करेंगे जबकि वैधानिक तरीके पर कार्य संपादन किया जाना संभव न हो।

छ- किसी विशेष स्थिति में कार्य समिति के किसी पदाधिकारी का पूरा या कुछ कार्य किसी अन्य पदाधिकारी /सदस्य /परिषद् के सदस्य या संबद्ध प्रखण्ड/जिला/प्रान्त के किसी अन्य सक्षम व्यक्ति से करायेंगे।

ज- किसी पंचायत में या पूरे प्रखण्ड में/ किसी प्रखण्ड में प्रखण्ड सभा/ किसी जिला में जिला सभा के सक्रिय नहीं होने की स्थिति में या पंचायत/प्रखण्ड/जिला परिषद् द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव कराकर प्रखण्ड/जिला प्रतिनिधि भेजने की कठिनाई की स्थिति में, तदर्थ रूप से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संबद्ध प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय कार्य समिति के अनुशंसा पर प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधियों को मनोनीत कर प्रखण्ड / जिला /प्रान्तीय परिषद् का गठन किया जायेगा। फिर उन्हीं प्रतिनिधियों के सहयोग से उस प्रखण्ड/जिला/प्रान्तीय सभा को विहित ढंग से गठित कराया जायेगा। (समानुपातिक प्रतिनिधि को सुनिश्चित करने में कठिनाई की स्थिति को प्रत्येक पंचायत से चार प्रतिनिधि और प्रत्येक प्रखण्ड से चार प्रखण्ड प्रतिनिधि एवं उसके अध्यक्ष और प्रत्येक जिला से चार जिला प्रतिनिधि एवं जिला अध्यक्ष लिये जायेंगे)।

झ - किसी कारण विशेष से यदि समय बीत जाने पर भी नया चुनाव संभव नहीं हुआ तो पहले की परिषद् कार्य करती रहेगी, मगर चुनाव शीघ्र कराने का हर संभव प्रयास किया जायेगा। अकारण विलम्ब की स्थिति में प्रखण्ड परिषद् के लिए जिला अध्यक्ष को और जिला परिषद् के लिए प्रान्तीय अध्यक्ष को हस्तक्षेप करने या परिषद् गठन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ञ - सभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी कार्य आवश्यक समझा जायेगा उसे करने या कराने के लिए उचित कार्यवाई करेंगे।

10.2 प्रखण्ड मंत्री / जिला मंत्री / प्रान्तीय महामंत्री

Scanned with OKEN Scanner

क - संबंधित अध्यक्ष के सहयोगी की तरह उसके अथवा संबंधित परिषद् के निर्देश पर कार्य करेंगे।

ख - संबंधित परिषद् के अन्तर्गत इसके कार्य कलापों को वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित परिषद् में उपस्थित करेंगे और उसकी प्रति अपने ऊपर के कार्य समितियों को भेजेंगे।

ग - अध्यक्ष की ओर से निर्धारित सभी बैठकों को बुलायेंगे और उसकी कार्यवाही हेतु निर्धारित पुस्तिका में अभिलिखित करेंगे, जिसमें बैठक के अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे और उसे आगामी बैठक में सम्पुष्ट कराया जायेगा, पारित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

ध - ऐसे सभी अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें अध्यक्ष / कार्य समिति में परिषद् द्वारा सौंपा जायेगा या जो सभा के उद्दैश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझा जायेगा।

ड़ - सम्बद्ध कार्यालयों के कुशल संचालन का दायित्व संभालेंगे और अभिलेखों, संपत्तियों आदि के संरक्षण एवं संधारण का पूर्ण दायित्व वहन करेंगे। विभिन्न स्तरों के कार्यों के लिए आवश्यक धन राशि प्राप्त कर अपने कोषाध्यक्ष के पास जमा करेंगे और उनसे आय-व्यय का वार्षिक अंकेक्षित लेखा लेकर वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित कर एवं कार्य समिति से स्वीकृत कराकर संबद्ध परिषद् वार्षिक बैठक में या अधिवेशन में या आम सभा के सम्मुख अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे।

च - सभा के कार्य संपादन के लिए सहायक / संयुक्त मंत्रियों को आवश्यक निर्देश देंगे एवं सहयोग प्राप्त करेंगे तथा अन्य कर्मचारियों से कार्य करायेंगे।

छ - प्रखण्ड सभा के कार्यों के लिए प्रखण्ड मंत्री एक बार में दो सौ रूपये, जिला सभा कार्यों के लिए जिला मंत्री एक बार में 300/- रू0 और प्रांतीय सभा के कार्यों के लिए प्रांतीय महामंत्री एक बार में 500/- रू0 खर्च कर सकेंगे। मगर संबद्ध कार्य समिति की पूर्व स्वीकृति लेकर उससे अधिक खर्च करेंगे तथा अपने पास किसी भी समय वे क्रमशः 500/-, 750/- और 1000/- रू0 से अधिक का कोष नहीं रखेंगे।

ज - प्रखण्ड मंत्री प्रखण्ड स्तर के, जिला मंत्री जिला स्तर के और प्रांतीय महामंत्री प्रांतीय स्तर के सभी स्थायी संघ समाज, समितियों, उपसमितियों के पदेन सदस्य होंगे।

10.3 प्रखण्ड सहायक मंत्री / जिला सहायक मंत्री / प्रांतीय संयुक्त मंत्री

क - संबद्ध कार्य समिति के अध्यक्ष या मंत्री / महामंत्री के निर्देशानुसार सभा के कार्य संपादन में सहयोग करेंगे।

ख - प्रखण्ड मंत्री / जिला मंत्री / प्रांतीय महामंत्री की अनुपस्थिति में वरीयतानुसार उनके अधिकारों का उपयोग करेंगे तथा उनके कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।

10.4 प्रखण्ड / जिला / प्रांतीय कोषाध्यक्ष

क - प्रखण्ड कोषाध्यक्ष प्रखण्ड के सभी प्रकार के सदस्यों से प्राप्त वार्षिक सदस्यता शुल्क, अन्य दान तथा अन्यान्य वैधिक श्रोतों से प्राप्त धन राशि को जमा करेंगे। प्रखण्ड से प्राप्त सदस्यता शुल्क का आधा भाग जिला कार्य समिति के कोषाध्यक्ष के पास जमा करेंगे और बाकी आधा भाग प्रखण्ड कार्य समिति के सामान्य कार्य कलापों में आवश्यकतानुसार

Scanned with OKEN Scanner

प्रखण्ड परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट के आधार पर कर सकते हैं।

ख - प्रखण्ड परिषद् द्वारा स्वीकृति के बाद किसी विशेष कार्य के लिए इस तरह प्राप्त सभी धन राशि प्रखण्ड कार्य समिति द्वारा निर्धारित प्रखण्ड के अर्न्तगत किसी बैंक में अथवा पोस्ट ऑफिस में उस प्रखण्ड के तैलिक वैश्य सभा के नाम से सूद मिलने वाली लेखा में जमा करेंगे जो प्रखण्ड कार्य समिति के अध्यक्ष मंत्री, एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित होगा और जमा की गई राशि में से निकासी करने में इसमें से किन्हीं दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से होगा।

ग - जिला के सभी प्रखण्ड कार्य समितियों के कोषाध्यक्षयों से प्राप्त होने वाले धन या दान एवं अन्य श्रोतों से प्राप्त धन राशि जिला कोषाध्यक्ष जमा करेंगे, वार्षिक सदस्यता शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का आधा भाग प्रांतीय कार्य समिति के कोषाध्यक्ष के पास वे जमा करेंगे और बाकी आधा भाग को जिला कार्य समिति के सामान्य कार्य कलापों में आवश्यकतानुसार जिला परिषद् द्वारा स्वीकृत बजट के आधार पर उपयोग करेंगे। जिला परिषद् द्वारा स्वीकृति के बाद विशेष कार्य के लिए अनुदान लेंगे जिसका उसी विशेष कार्य में उपयोग किया जायेगा। वे सभी अनुदान जो प्रांतीय कार्य समिति के आदेश पर लिया जायेगा, उन्हें प्रांतीय कार्य समिति के कोषाध्यक्ष के पास जमा करेंगे।

घ - इस प्रकार जिला कोषाध्यक्ष को प्राप्त सभी धन राशि को जिला कार्य समिति द्वारा निर्धारित जिला मुख्यालय के किसी बैंक में उस जिला तैलिक वैश्य सभा के नाम से सूद मिलने वाली लेखा में जमा करेंगे जिसका परिचालन सम्मिलित रूप से जिलाध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा, जिसमें से निकासी इन तीनों में से दो के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

ड़ - सभा के सभी जिला कार्य समितियों को कोषाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले धन, अन्य दान एवं अन्यान्य श्रोतों से प्राप्त धन राशि प्रांतीय कोषाध्यक्ष करेंगे। प्रांतीय कार्य समिति के सामान्य कार्य कलापों में आवश्यकतानुसार प्रांतीय परिषद् द्वारा स्वीकृति बजट के आधार पर वे कोष का उपयोग करेंगे। प्रांतीय परिषद द्वारा स्वीकृति के बाद विशेष कार्य के लिए अनुदान लेंगे जिसका उसी विशेष कार्य में उपयोग किया जायेगा।

च - इस प्रकार प्रांतीय कोषाध्यक्ष को प्राप्त सभी धन राशि को प्रांतीय कार्य समिति द्वारा निर्धारित पटना के किसी बैंक में बिहार राज्य तैलिक वैश्य सभा के नाम से सूद मिलने वाली लेखा में जमा करेंगे जिसका परिचालन सम्मिलित रूप से प्रांतीय अध्यक्ष, महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा किया जायेगा, जिसमें से निकासी उन तीनों में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

छ - सम्बद्ध अध्यक्ष अथवा मंत्री / महामंत्री के निर्देशानुसार ही सभा की जमा राशि खर्च करेंगे तथा मंत्री / महामंत्री को आवश्यकतानुसार कार्य हेतु धन राशि रसीद लेकर देंगे, साथ ही पहले दी गई राशि का लेखा-जोखा लेंगे।

ज - आमद एवं खर्च का नियमित लेखा तैयार करेंगे और लेखा पुस्तक के हरेक प्रविष्टियों को संबंधित अध्यक्ष से हस्ताक्षर करायेंगे। उक्त लेखा का अंकेक्षण कम से कम साल में एक बार करायेंगे और इस अंकेक्षण-प्रतिवेदन को संबंधित कार्य समिति से पारित

Scanned with OKEN Scanner

कराकर संबंधित परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु मंत्री / महामंत्री को देंगे।

ङ - सम्बद्ध परिषद्, समिति अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपा गया अन्य कार्य करेंगे।

10.5 <u>प्रखण्ड / जिला / प्रांतीय आंतरिक अंकेक्षक</u>

क - सभा के कोष संबंधी पूर्ण लेखा सामग्री सम्पत्ति तथा उससे संबंधित अभिलेखों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष कम से कम एक बार करेंगे जिसके लिए सम्बद्ध मंत्री / महामंत्री एवं कोषाध्यक्ष सभी आवश्यक लेखा एवं अभिलेख देंगे, जिसके आधार पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ आय-व्यय का वार्षिक लेखा विवरणी तैयार करेंगे।

ख - आय-व्यय लेखा संबंधी आवश्यक निर्देश देंगे एवं बिना पूर्व सूचना के या अल्प सूचना पर सामूहिक अंकेक्षण करेंगे जिसमें पायी गई अनियमितताओं को सम्बद्ध कार्य समिति को सूचित करेंगे।

10.6 <u>जिला / प्रांतीय संगठन मंत्री</u>

क - सम्बद्ध परिषद्, कार्य समिति या अध्यक्ष के निर्णयानुसार संविधान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं प्रांतीय स्तर पर संगठन कार्य करेंगे और सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करेंगे।

ख - सभी स्तर पर प्रचार-प्रसार कार्य करेंगे एवं अपने कार्य क्षेत्र के सदस्यों के लिए जिला / प्रांतीय कार्य समिति के साथ संपर्क सूत्र का कार्य करेंगे।

ग - निर्देशानुसार सभी स्तर पर चुनाव कार्य करायेंगे एवं चुनाव में पर्यवेक्षक का कार्य करेंगे तथा अपना प्रतिवेदन जिला / प्रांतीय कार्य समिति को देंगे।

घ - अध्यक्ष और मंत्री / महामंत्री द्वारा दिये गये सभा के उद्देश्यों की पूर्त्ति हेतु सभी अन्य आवश्यक कार्य करेंगे।

*** <u>11. सम्पदा एवं लेखा</u>**

11.1 प्रखण्ड / जिला / प्रांतीय सभा का चल एवं अचल सम्पदा संबंधित सभा के नाम पर होगा एवं संबंधित कार्य समिति के मंत्री / महामंत्री उसके अभिरक्षक होंगे।

11.2 प्रखण्ड / जिला / प्रांतीय परिषद् के निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार संबंधित कार्य समिति के निर्णय पर ही कोई नई चल या अचल सम्पदा का अर्जन किया जयेगा। मगर किसी चल सम्पदा, जिसका अनुमानित या बाजारी मूल्य 1000/- रूपये से अधिक होगा, का विक्रय बिना संबंधित परिषद् के निर्णय के नहीं किया जायेगा। 1000/- रूपये का अनुमानित या बाजारी मूल्य की चल या अचल सम्पदा का विक्रय संबंधित कार्य समिति के निणर्य के बाद किया जायेगा। सभी तरह का सम्पदा संबंधी कोई अनुबंध या किसी न्यायालय संबंधी मामलों की देख-रेख संबंधित कार्य समिति के निर्णय एवं अधिकार में होगा।

11.3 सभी सम्पदा का पूर्ण विवरण सिलसिलेवार रूप से आवश्यक सूचि बनाकर संबंधित सम्पदा पंजी में अंकित रहेगा, जिसे अंकेक्षक द्वारा हर साल अंकेक्षण के अवसर पर जाँचा जायेगा और इसका प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जायेगा। सभी अनावश्यक वस्तुओं को संबंधित कार्य समिति की स्वीकृति लेकर बेचा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

11.4 किसी विशेष कार्य के लिए जब अलग से अनुदान लिया जायेगा तो उस आय-व्यय का लेखा अलग से विशेष लेखा पुस्त खोलकर अंकित किया जायेगा और वह लेखा तब तक चालू रहेगा जब तक कि वह कार्य पूर्णरूपेण सम्पन्न न हो जाय या उसे किसी विशेष कारणवश संबंधित परिषद् के निर्णयानुसार कार्य समिति द्वारा बन्द न कर दिया जाय। उस विशेष कार्य हेतु बैंक लेखा 100/- रू0 से खोला जा सकता है।

11.5 फुटकर एवं आकस्मिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास दो सौ रूपये भर की राशि रहेगी, जिसके खर्च होते ही खर्च की गयी राशि को बाद कर (अपेक्षित) राशि की निकासी कर 200/- रू0 परिपूरित किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव होगा, भुगतान चेक द्वारा ही किया जायेगा।

11.6 प्रखण्ड / जिला / प्रांतीय सभाओं में हर का वित्तिय वर्ष 1 पहली जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर को समाप्त होगा।

11.7 प्रखण्ड / जिला / प्रांतीय सभाओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए संबंधित सभा के अध्यक्ष या मंत्री / महामंत्री द्वारा किसी पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं कर्मचारी को संबंधित सभा के किसी कार्य से भेजे जाने पर न्यूनतम मार्ग व्यय एवं अन्य खर्च संबंधित सभा के कोष से दिया जा सकता है। यह व्यय 50/- रू0 से अधिक होने की संभावना में संबंधित कार्य समिति की पूर्व स्वीकृति लेकर ही किया जायेगा।

*** 12 सदस्य-पंजी :**

12.1 प्रखण्ड सभा में प्रखण्ड भर के सदस्यों का एक पंजी रहेगा जिसमें प्रत्येक पंचायत का अलग-अलग स्थान होगा। इसी पंजी के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता संख्या निर्धारित होगी। पंजी विहित प्रपत्र में रहेगा उक्त सदस्य का सदस्यता शुल्क की वसूली वर्ष के कालम में रसीद संख्या अंकित किया जायेगा। रसीद के प्रतिरूप पर भी सदस्य की सदस्यता-संख्या अंकित की जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर 10 वर्षो की अवधि के बाद इस पंजी को बदल कर नया बनाया जायेगा जिसमें उस समय के सदस्यों को अद्यतन किया जायेगा।

*** 13- अधिवेशन :**

13.1 प्रखण्ड /जिला/प्रान्तीय स्तर पर चार वर्षो में एक बार अधिवेशन किया जायेगा जिसमें क्रमश: प्रखण्ड/ जिला /प्रान्तीय सभी सदस्य आमंत्रित होंगे जिसके लिये स्थान, तिथि समय एवं कार्यक्रम संबंधी व्यापक प्रचार किया जायेगा। इसमें आम सदस्यों द्वारा विभिन्न परिषदों, समितियों आदि के कार्य क्लापों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक सुझाव दिये जायेंगे।

13.2 अधिवेशन के उद्घाट्न कर्त्ता, विशेष सम्मानित अतिथि आदि के संबंध में निर्णय संबद्ध कार्य समिति की बैठक में लिया जायेगा।

13.3 अधिवेशन के सुव्यवस्थित संचालन के लिये संबंधित कार्य समिति अस्थाई तौर पर विभन्न कार्यो के संपादन के लिये विभन्न समितियों का गठन कर उन्हें भार सौंप सकती है।

13.4 अधिवेशन के लिये अगर कोई बीच की कार्य समिति आमंत्रित करती है तो उस पर विचार किया जा सकता है। प्रयास यह किया जायेगा कि अधिवशन हमेशा एक ही जगह पर न हो।

Scanned with OKEN Scanner

* **14- निधि का अंकेक्षण :-**

सभा के आय-व्यय का लेखा लिखित रूप में रखा जायेगा और प्रत्येक वर्ष प्रान्तीय परिषद् द्वारा नियुक्त अंकेक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित कराया जायेगा।

* **15- संविधान में संशोधन :-**

सभा के संविधान में संशोधन प्रान्तीय परिषद् के सदस्यों में से कुल 3/5 (साठ प्रतिशत) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

* **16- विघटन एवं सम्पत्ति की व्यवस्था :-**

16.1 अगर किसी कारणवश सभा का विघटना करना पड़ेगा तो विघटन प्रान्तीय परिषद् के 3/5 (साठ प्रतिशत) सदस्यों के प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

16.2 विघटन के पश्चात् सभा की सारी चल एवं अचल संपत्ति जो ऋण एवं दायित्वों के भुगतान के पश्चात् बचेगी वह किसी सदस्यों या गैर सदस्यों में नहीं बाटी जायेगी। अपितु किसी समान उद्देश्य वाली अन्य संस्था या सरकार को प्रान्तीय परिषद् के 3/5 (साठ प्रतिशत) सदस्यों की सहमति से दे दी जायेगी।

* **17- विविध :-**

17.1 युवा संगठन, महिला संगठन एवं अन्य संगठन:-

क- इस सभा के अन्तर्गत हर स्तर पर तैलिक वैश्यों का युवा संगठन, महिला संगठन आदि का गठन किया जायेगा, जो इस सभा के अभिन्न अंग होंगे और जिनपर यह संविधान पूर्णतः लागू होगा।

ख- यदि इस तरह के संगठन अपने कार्य हेतु अपना अलग संविधान/नियमावली बनायेंगे तो इस संविधान से बिना किसी विरोधाभाष के बनायेंगे तथा उन्हें प्रान्तीय परिषद् से स्वीकृत करायेंगे।

ग- इस तरह के संगठन का अपना आर्थिक कोष रह सकता है।

17.2 इस संविधान के आधार पर यह सभा सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित होगी, जिसपर संबंधित ऐक्ट के सभी प्रावधान लागू होंगे।

ह0/- अ0 कु0 साह सदस्य कार्य समिति।	ह0/- श्रीराम साह सदस्य कार्य समिति।	ह0/- सुशील कुमार गुप्त सदस्य कार्य समिति एवं कोषाध्यक्ष।

****

Certified To Be A True Copy.

ह0 अस्पष्ट

For, Inspector General of Registration, Bihar, Patna

Typed by:
S. Prasad.
Compared by: ह0 अस्पष्ट

Read by: ह0 अस्पष्ट

Printed by : Sri Govind Printers, Patna-3.

Scanned with OKEN Scanner